राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुमरत उर्फ़ सुमित्रा बनाम भगवान सिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/03/2026	1322/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस एवं अपील के माध्यम से उठाई गयी आपत्तियां न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत्तक पक्षकारान के विधिक वारिसो को पक्षकार प्रकरण बनाये बगैर एवं सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुती का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी है जो विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के विपरित जाहिर होता है। ऐसेमें अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है एवं मृत्तक पक्षकार के समस्त विधिक वारिसान को पक्षकार प्रकरण बनाते हुये पक्षकारान को साक्ष्य-सबूत व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुन: विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित्त समझा जाता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30/08/2011 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृत्तक पक्षकार के समस्त विधिक वारिसो को रिकार्ड पर लेकर पक्षकारान को साक्ष्य सबूत एवं सुनवाई व आपत्ति का समुचित अवसर प्रदान कर पुन: विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करे। तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	